106

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास परियोजनायें, जयपुर ।

[जयपुर विकास प्राधिकरण भवन]

क्रमांक: भू.अ./नवि/91/ दिनांक : 31/5/91

विषय :- जयपुर विकास प्राधिकरण को अपने कृत्यों के निर्वहन व विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ग्राम मवासिंहपुरा में भूमि अवाप्ति बाबत [कुम्भीरामनगर योजना]

मुकदमा नम्बर :

1. 212/88
2. 216/88
3. 223/88
4. 224/88
5. 234/88

:: अ वा र्ड ::

उपरोक्त विषयान्तर्गत भूमि की अवाप्ति हेतु राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 [1984 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 1] की धारा 4 के तहत क्रमांक: प.6[15] नविआ/II/87 दिनांक 6.1.1988 तथा गजट प्रकाशन राजस्थान राजपत्र 7 अगस्त 1988 को कराया गया ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा 5-ए की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजने के उपरान्त राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा 6 का गजट प्रकाशन क्रमांक:प.6[15]नविआ/3/87 दिनांक 20.7.89 का प्रकाशन राजस्थान राज्य पत्र जुलाई 31, 1989 को किया गया ।

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा जो धारा 6 का गजट प्रकाशन कराया गया उसमें ग्राम मवासिंहपुरा तहसील जयपुर में अवाप्तिधीन की स्थिति इस प्रकार बताई गई है :-

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएँ
जयपुर

क्र.स.	मुकदमा नं.	खसरा नम्बर	अवाप्तिधीन भूमि का रकबा बीघा बिस्वा	खातेदार का नाम
1.	212/88	139	0-06	राजकीय भूमि
		141	1-18	
		146	2-11	
		147	1-02	
2.	216/88	36	0-12	कान्हा, गिरधारीचन्द, लक्ष्मीनारायण पि. प्रेमा [illegible] जा. [illegible]
		37	2-00	
		38	1-05	
		39	0-02	
		40	1-06	

108

मुकदमा नं० 212/88 : ख०नं० 139 रकबा 0-06, 141 रकबा 1-18, 146 रकबा 2-11, 147 रकबा 1-02 बीघा

धारा 6 के मुताबिक नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 139, 141, 146, 147 राजकीय भूमि के नाम दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत राजकीय सिवाय चक भूमि होने के कारण तहसीलदार जयपुर को रजिस्टर्ड ए०डी०व तामील कुनिन्दा द्वारा दिनांक 28.1.91 को नोटिस दिया गया । नोटिस दिये जाने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुआ । इसलिये एक तरफा कार्यवाही की गई । प्राधिकरण के अभिभाषक श्री [illegible] सिंह का यह कथन है कि यह भूमि राजकीय होने के कारण स्वतः ही राज्य सरकार में निहित हो जाती है अतः अवार्ड पारित करने की आवश्यकता नहीं है । हम इस तर्क से सहमत है । अतः इस भूमि का अवार्ड पारित करने की आवश्यकता नहीं है । खसरा नम्बर 139, 141, 146, 147 रकबा 0-06, 1-18, 2-11, 1-02 स्वतः ही निहित मानी जावेगी ।

मुकदमा नं० 216/88 : खसरा नम्बर 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, [illegible], 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, व 145 रकबा क्रमशः 0-12, 2-00, 1-09, 0-02, 1-06, 0-02, 0-03, 0-07, [illegible], 13-12, 1-16, 3-12, 3-12, 3-04, 2-09, 3-19, 2-17, 0-04, 0-01, 0-01, 1-00, 3-09, व 3-16

धारा 6 के मुताबिक नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, [illegible] श्री कानाराम, सियारामचन्द्र, लक्ष्मीनारायण पिता हेमा कैलाशी जा०देव एवं खसरा नम्बर 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118 व 145 श्री रामानन्द पुत्र हेमा जाति कैलाशी जा०देव के नाम दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितधारान को नोटिस दिया गया । धारा 9 व 10 के नोटिस तामील कुनिन्दा, रजिस्टर्ड ए०डी० एवं दैनिक नवज्योति एवं [illegible] समाचार में दिनांक 21.3.91 द्वारा प्रकाशित करवाकर धारा 9 व 10 के नोटिस व तामील कराई गई । उपरोक्त खातेदारान एवं उनके अभि० समय समय पर उपस्थित होते रहे है लेकिन उन्होंने कोई क्लेम पेश नहीं किया है । इसके अतिरिक्त [illegible] गृह निर्माण सहकारी समिति ने आपत्ति प्रस्तुत की थी लेकिन कोई इस प्रकार के दस्तावेजात पेश नहीं किये जिसके आधार पर यह माना जा सके कि खातेदारान ने सोसायटी को उक्त भूमि हस्तान्तरण कर दी । इसी प्रकार से न्यासधारियो द्वारा भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये लेकिन कोई लिखित दस्तावेजात पेश नहीं किये इसलिये इनको मुआवजा राशि के भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता है । [illegible] खातेदारान को मुआवजा राशि का भुगतान लिखित दस्तावेजात एवं मालिका-नात दस्तावेजात पेश करने पर ही किया जावेगा ।

मुकदमा नं० 223/88 : खसरा नम्बर 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 93 व 94 रकबा क्रमशः 4-05, 0-02, 0-13, 0-02, 0-04, 14-02, 3-03, 2-18, 2-09

धारा 6 के मुताबिक नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 93 एवं 94 श्री भूरा, रामनारायण पि० नन्दा, श्रीमती केसा नन्दा, नाथिया, पि० गोविन्दा, मदन, सियाराम, रामेश्वर, पि० गोविन्दा 1/4 [illegible] पु० नन्दा 1/4 जा० सैनी माली के नाम दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम

की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदार/हितदारान को नोटिस दिया गया । श्री रामनारायण खातेदार एवम उनके अभिभाषक समय समय पर इस न्यायालय मे उपस्थित होते रहे है लेकिन इन्होने व लेम पेश नही किया है । श्री रामनारायण खातेदार के अलावा अन्य खातेदार नोटिस दिये जाने के बावजूद उपस्थित नही हुवे है । दिनांक 13·3·91 को न्यायालय मे उपस्थित होने हेतु खातेदारो/हितदारियो को धारा 9 एवं 10 के नोटिस तामिल कुनिन्दा, व रजिस्टर्ड ए·डी· से दिया गया एवं दिनांक 21·3·91 को नवभारत टाईम्स एवम दैनिक नवज्योति अखबार मे प्रकाशन द्वारा भी धारा 9 व 10 के नोटिसो का तामील कराई गई । बावजूद खातेदार/हितधारी न्यायालय मे उपस्थित नही हुवे । अतः इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई ।

मुकदमा नं· 224/88 : खसरा नम्बर 74 व 75 रकबा क्रमशः 0-02, 1-07

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन मे खसरा नं·74 श्री श्यामसिंह पु· म हेम, दानसिंह, मै· केशरसिंह, नरपतसिंह, भगवतीसिंह, कु·शशि पि·श्यामसिंह जा· राजपूत, गणेशनारायण पु· शिवबक्स जा·ब्राह्मण एवम खसरा नं· 75 श्री गणेश नारायण पि· शिवबक्स 1/2, इसमसिंह वगैरह के नाम दर्ज है । केन्द्रिय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत खातेदारान/हितदार को दिनांक 13·3·91 को रजिस्टर्ड ए·डी· एवम तामिल कुनिन्दा द्वारा तामिल कराया गया एवम दिनांक 21·3·91 को नवभारत टाइम्स एवम दैनिक नवज्योति अखबार मे प्रकाशन द्वारा भी धारा 9 एवं 10 के नोटिसो का तामील कराई ग ई । बावजूद खातेदार/हितधारी न्यायालय मे उपस्थित नही हुवे । अतः इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई ।

मुकदमा नं· 234/88 : खसरा नम्बर 125, 126, 127, 128, 129, 130 व 131 रकबा क्रमशः 5-04, 4-05, 5-01, 0-02, 3-11, 1-05, 0-11

धारा 6 के ग जट नोटिफिकेशन मे खसरा नं· 125, 126, 127, 128 129, 130 व 131 श्री लादू पु· शिवबक्स, धन्ना, पु· भैरू समभाग गुजर के नाम अंकित है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के अन्तर्गत खातेदार/हितदारान को नोटिस दिया गया । श्री लादू के पुत्र श्री छीतर एवं उनके अभिभाषक इस न्यायालय मे समय समय पर उपस्थित होते रहे है लेकिन इन्होंने कभी कोई क्लेम पेश नही किया है । श्री छीतर के अलावा अन्य खातेदार अभी इस न्यायालय मे उपस्थित नही हुवे है । दिनांक 13·3·91 को न्यायालय मे उपस्थित होने हेतु खातेदारो/हितदारो को धारा 9 एवम 10 के नोटिस तामिल कुनिन्दा, रजिस्टर्ड ए·डी· से तामिल करवाये ग ये । दिनांक 21·3·91 को नवभारत टाईम्स एवम दैनिक नवज्योति अखबार मे प्रकाशन द्वारा भी धारा 9 एवं 10 के नोटिसो का तामील कराया गया । बावजूद खातेदार/हितधारी न्यायालय मे उपस्थित नही हुवे । अतः इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत उप रोक्त मुकदमात सार्वजनिक नोटिस भी दिनांक 27·4·91 को दिया गया जो तामिल कुनिन्दा द्वारा दिनांक 2·5·91 को सम्बन्धित तहसील, पंचायत समिति, नोटिस बोर्ड व ग्राम पंचायत व सरपंच को दिये व चस्पा कराये ।

जयपुर

मुआवजा निर्धारण :

जहाँ तक उपरोक्त खसरा नम्बर के खातेदारान/हितदारान को मुआवजा निर्धारण का प्रश्न है उपरोक्त सभी मामलो में एक तरफा कार्यवाही होने के कारण एवं खातेदारान/हितदारान द्वारा कोई क्लेम पेश नही करने के कारण खातेदारान/हितदारान की ओर से मुआवजे की राशि की मांग का कोई प्रश्न नही उठता ।

लेकिन नेचुरल जस्टिस के सिद्धान्त के अनुसार इस सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण जिसके लिए भूमि अवाप्त की जा रही है का भी पक्ष ज्ञात किया गया जयपुर विकास प्राधिकरण के सचिव ने पत्र क्रमांक टी·डी·आर·/91/335 दिनांक 3·6·91 द्वारा इस सम्बन्ध में सूचित किया गया कि धारा 4 के नोटिफिकेशन के समय ग्राम गणेशपुरा में 18,600/-रु· प्रति बीघा के अनुसार भूमियो का पंजियन हुआ था इसलिये जहाँ तक उनके पक्ष का सम्बन्ध है यह दर उचित हैं ।

हमने इस सम्बन्ध में उपपंजियक एवं तहसीलदार तहसील जयपुर के यहाँ से अपने स्तर पर भी जानकारी प्राप्त की तो ज्ञात हुआ कि धारा 4 के नोटिफिकेशन के समय भूमि की दर इससे अधिक नही थी । तहसीलदार जयपुर विकास प्राधिकरण [प्रथम] ने भी अपने यू·ओ·नोट दिनांक 8·5·91 द्वारा तहसील सांगानेर में धारा 4 के नोटिफिकेशन के समय जमीन की विक्रय रेट नही बताई है ।

लेकिन इस न्यायालय द्वारा पूर्व में भी इसी क्षेत्र के आसपास की भूमि की मुआवजा राशि 24,000/- रु· प्रति बीघा की दर से अवार्ड जारी किये गये एवं जिनका अनुमोदन राज्य सरकार से भी प्राप्त हो चुका हैं जयपुर विकास प्राधिकरण के अभि· श्री के·पी·मिश्रा ने कोई लिखित में कोई उत्तर नही दे कर मौखिक रूप से यह निवेदन किया है कि यदि मुआवजा राशि 24·000/-रु· प्रति बीघा की दर से तय की जाती है तो जयपुर विकास प्राधिकरण को कोई आपत्ती नही होगी क्योंकि कुछ समय पूर्व भी इसी न्यायालय द्वारा इस भूमि के आसपास के क्षेत्र में 24,000/-रु· प्रति बीघा की दर से अवार्ड पारित किये गये हैं ।

अतः इस मामले में भी हम भूमि की मुआवजा राशि 24,000/- रु· प्रति बीघा की दर से दिया जाना उचित मानते है एवं हम यह भी मानते है कि धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय भूमि की कीमत यही थी ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत अवार्ड पारित करने के लिये 2 वर्ष की समयावधि नियत है लेकिन खातेदारान/हितदारान को धारा 9 एवं 10 के नोटिस तामील कुनिन्दा, रजि·ए·डी· एवं समाचार पत्र में प्रकाशन के बाद भी उपस्थित नही होना व क्लेम पेश नही करना इस बात का द्योतक है कि वे अपना कोई पक्ष प्रस्तुत नही करना चाहते । इसलिये एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

जहातक पेड़,पौधे,सड़के,कुए एवं भूमि पर बने अन्य स्ट्रक्चर का प्रश्न है खातेदारान द्वारा कोई तखमीना पेश नही किया गया और ना ही जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित तखमीने पेश किये गये हैं । ऐसी स्थिति में स्ट्रक्चर [यदि कोई हो] के मुआवजे का निर्धारण नही किया जा रहा हैं ।

अतः इस भूमि के मुआवजे का निर्धारण तो 24,000/- रु. प्रति बीघा की दर से करते है लेकिन मुआवजे का भुगतान [illegible] मालिकाना का सबूत दस्तावेज पेश करने पर ही किया जावेगा । मुआवजे का निर्धारण परिशिष्ट "ब" के अनुसार जो इस अवार्ड का भाग है के अनुसार निर्धारित किया जा रहा है ।

अतिरिक्त निदेशक [illegible] एवं पदेन [illegible] नगर भूमि एवं [illegible] विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 948 दिनांक 31-5-91 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि [illegible] राव [illegible] है [illegible] 22 ग्राम जयपुर नगर संकुल सीमा में शामिल है जो [illegible] अधिनियम 1976 से प्रभावित है लेकिन उन्होंने यह [illegible] नहीं दी है कि [illegible] अधिनियम की धारा 10[3] की अधिसूचना प्रकाशित करवा दी है तथा नहीं कोई रिकॉर्ड में अवार्ड व केन्द्रीय भूमि अर्जन का अधिनियम के अन्तर्गत पारित किये जा रहे है ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 23[1] एवं 23[2] के अन्तर्गत मुआवजे की उपरोक्त राशि पर नियमानुसार 30 प्रतिशत [illegible] एवं 12 प्रतिशत अतिरिक्त राशि भी देय होगी जिसका निर्धारण परिशिष्ट "ब" में मुआवजे की राशि के साथ दर्शाया गया है ।

यह अवार्ड आज दिनांक 31-5-91 को पारित कर राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जाता है ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएं, जयपुर ।

यह अवार्ड आज राज्य सरकार के पत्र क्रमांक F.6(15)नविआ/87 दिनांक 29.6.91 के द्वारा अनुमोदित होकर प्राप्त हुआ है। इस अवार्ड में ख.नं. 106 से 109, 111 से 116, 118 कुल रकबा 24-12 बिस्वा पर माननीय उच्च न्यायालय की रिट याचिका संख्या 3402/91 दिनांक 13.6.91 के द्वारा अवार्ड घोषित करने पर स्थगन आदेश है अतः ख.नं. 106 से 109, 111 से 116, 118 का अवार्ड घोषित एवं फाईल नहीं किया जा सकता है।

ख.नं. 36 से 43, 145 रकबा क्रमशः 0-12, 2-00, 1-05, 0-02, 1-06, 0-02, 0-03, 0-07, 3-16 पर माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है अतः ख.नं. 36 से 43, 145 का अवार्ड आज दिनांक 29.6.91 को घोषित किया जाता है। एवं फाईल किया जाता है।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएँ
जयपुर

22/5/96 ग्राम गजसिंहपुरा तहसील जयपुर की
भूमि खसरा नम्बर 106 से 109, 111 से 116
118 का अवार्ड दिनांक 29-6-91 को
राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.6(15)
नवि/आ/87 पार्ट ~~दिनांक~~ पूर्व में
अन्य खसरा नम्बरान के संबंध प्राप्त हो
गया है उपरोक्त खसरा नम्बर का
माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन
होने से अवार्ड की घोषणा नहीं की
गई। अब माननीय उच्च न्यायालय
(डी.बी.) के द्वारा राज्य/जविप्रा की अपीलों
का निर्णय राज्य/जविप्रा के पक्ष में
दिनांक 22-5-96 को कर दिया गया है
जिसकी प्रति इस कार्यालय को 18-5-96
को प्राप्त हुई है।

उक्त आदेश के अनुसरण में
आज दिनांक 22-5-96 को खसरा
नम्बर 106 से 109, 111 से 116, 118
का अवार्ड मेरे द्वारा खुले में घोषित
किया जाता है। हितबद्धान को धारा
12(2) का नोटिस जारी हो। सूचनार्थ
हेतु सचिव जविप्रा को एक प्रति भेजी
जावे।

113

परिशिष्ट " ए " ग्राम मर्दानपुरा

क्र.स.	काश्तदार/खिवादार का नाम	ख.न.	रकबा बी. बि.	भूमि के मुआवजे की दर	भूमि के मुआवजे की राशि	सोलेशियम राशि 30%	अतिरिक्त राशि 12% (2 वर्ष 9 माह 25 दिन)	कुल मुआवजा राशि	वि.वि.
1.	कान्हा, चिरंजीलाल, लक्ष्मीनारायण पि. प्रेमा मेहन्दी जा. देव	36	0-12	24,000.00	14,400/-	4320/-	4870.35	23,590.35	
		37	2-00	"	48,000/-	14400/-	16234.52	78,634.52	
		38	1-05	"	30,000/-	9000/-	10146.58	49,146.58	
		39	0-02	"	2,400/-	720/-	811.73	3,931.73	
		40	1-06	"	31,200/-	9360/-	10552.44	51,112.44	
		41	0-02	"	2,400/-	720/-	811.73	3,931.73	
		42	0-03	"	3,600/-	1080/-	1217.59	5897.59	
		43	0-07	"	8,400/-	2520/-	2841.04	13,761.04	
		[illegible]	[illegible]	"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		[illegible]	[illegible]	"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		[illegible]	[illegible]	"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		[illegible]	[illegible]	"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		[illegible]	[illegible]	"	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		145	3-16	"	91,200/-	27360/-	30845.59	1,49,405.59	
		106	3-12	"	86,400/-	25920/-	29222.14	1,41,542.14	
		107	3-12	"	86,400/-	25920/-	29222.14	1,41,542.14	
		108	3-04	"	76,800/-	23040/-	25975.23	1,25,815.23	
		109	2-09	"	58,800/-	17640/-	19887.29	96,327.29	
		111	3-19	"	94,800/-	28440/-	32063.18	1,55,303.18	
		112	2-17	"	88,400/-	26520/-	29898.58	1,43,018.58	
		113	0-04	"	4,800/-	1440/-	1623.45	1,863.45	
		114	0-01	"	1,200/-	360/-	405.86	1,965.86	
		115	0-01	"	1,200/-	360/-	405.86	1,965.86	
		186	1-00	"	24,000/-	7200/-	8117.26	39317.26	
		118	3-09	"	82,800/-	24,840/-	28004.55	1,35,644.55	
2.	भरत, रामनारायण पि. नन्दा दीतो बेवा, नन्दा 1/4 भाग्यिया पि. गोविन्दा 1/4 भाग, सिवलाल रामेश्वर पि. मोतिया 1/4 जाना पु. पन्ना देवर 1/4	57	4-05	"	1,02,000/-	30,600/-	34498.36	1,67,098.36	
		58	0-02	"	2,400/-	720/-	811.72	3,931.72	
		59	0-15	"	18,000/-	5,400/-	6087.94	29487.94	
		60	0-02	"	2,400/-	720/-	811.72	3,931.72	
		61	0-04	"	4,800/-	1,440/-	1623.44	7,863.44	
		62	14-02	"	3,38,400/-	1,01,520/-	1,14,453.36	5,54,373.36	
		63	3-03	"	75,600/-	22,680/-	25,569.37	1,23,849.37	
		93	2-18	"	69,600/-	20,880/-	23,540.05	1,14,020.05	
		94	5-05	"	1,26,000/-	37,800/-	42,615.62	2,06,415.62	

जयपुर

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	श्यामसिंह पु. महेश दानसिंह के भैरव सिंह, नरपतसिंह, भगवतीसिंह, पु. शक्ति पिता श्यामसिंह, जा. राजपूत, महेश नारायण पु. शिवसहाय	74	0-02	24,000/-	2,400.00	720.00	811.72	3,931.72	
	कमलनारायण पु. शिवसहाय 1/2 श्यामसिंह वगैरह	75	1-37	"	32,400.00	9,720.00	10,958.30	53,078.30	
4.	बाबू पु. शिवलाल, पन्ना पु. मेघ रामनाथ गुर्जर	125	5-04	"	1,24,800.00	37,440.00	42,209.75	2,04,449.75	
		126	4-05	"	1,02,000.00	30,600.00	34,498.36	1,67,098.36	
		127	5-01	"	1,21,200.00	36,360.00	40,992.16	1,98,552.16	
		128	0-02	"	2,400.00	720.00	811.72	3,931.72	
		129	3-11	"	85,200.00	25,560.00	28,816.27	1,39,576.27	
		130	1-05	"	30,000.00	9,000.00	10,146.58	49,146.58	
		131	0-11	"	13,200.00	3,960.00	4,464.49	21,624.49	
	कुल योग				20,90,000.00	6,27,000.00	7,05,878.04	34,22,878.04	

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएं, जयपुर ।
जयपुर